




दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
16.12.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। सटिफिकेट देनदार को Bihar &amp; Orissa Public Demand Recovery Act. 1914 के Section-7 के तहत Form-3 में पुनः नोटिस निर्गत करें। सुनवाई की अगली तारीख दिनांक – 19/12/2022 निर्धारित की जाती है। अभिलेख दिनांक – 19/12/2022 को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित    16/12/2022  नीलाम पत्र अधिकारी  खूँटपानी।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित    16/12/2022  नीलाम पत्र पदाधिकारी  खूँटपानी।</p>
19.12.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। Section-7 के तहत निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। सटिफिकेट देनदार की ओर से 550/- रुपया जो प्रखण्ड कार्यालय खूँटपानी में NR No - 1696006 दिनांक – 17.12.2022 जमा करने संबंधित रसीद प्रस्तुत किया गया है। अधियाचित राशि के जमा होने के पश्चात् Bihar &amp; Orissa Public Demand Recovery Act. 1914 के Section 53 (I) के तहत नीलाम नव वाद की कारवाई समाप्त की जाती है। पंजी – 10 में इसे दर्ज करें।</p> <p>लेखापित    19/12/2022  नीलाम पत्र अधिकारी  खूँटपानी।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित    19/12/2022  नीलाम पत्र पदाधिकारी  खूँटपानी।</p>